न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/433

बनवारी लाल आत्मज मथुरा लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम झोटेली तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मुकुट बिहारी आत्मज बनवारी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम झोटेली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामेश्वर आत्मज बनवारी लाल जाति गुर्जर ।
3. रणजीत सिंह आत्मज बनवारी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम झोटेली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. मथुरा लाल आत्मज श्री बलवन्ता जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम झोटेली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 21.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मुकुट बिहारी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम झोटेली तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी 06 किता की 5.27 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय दिनांक 16.06.2016 को नहीं सुनाया जिससे उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.08.2016 को अपीलान्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में गये और वहॉ जानकारी की तो उक्त निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । प्रस्तुत प्रकरण में मथुरा लाल की पुत्रियॉ सोभाग बाई, अनोखबाई, रोशनबाई जीवित हैं जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार थी जिन्हें पक्षकार बनाये बिना ही वादी ने अपना वाद डिक्री करवा लिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्त ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति के आधार पर वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण पक्षकारान के विभाजन से सम्बन्धित था जिसमें पक्षकारान ने आपसी सहमति के आधार पर विभाजन करवाया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम

लान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें प्रस्तुत में मथुरा लाल की पुत्रियॉ सोभाग बाई, अनोखबाई, रोशनबाई जीवित हैं जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार थी जिन्हें पक्षकार बनाये बिना ही वादी ने अपना वाद डिक्री करवा लिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सभी आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 14.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा